


राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(2)स्था./मंत्रा/अभि./16/73-82

जयपुर, दिनांक 26.02.2020


आदेश

अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश 03-12 दिनांक 17.02.2020 द्वारा श्री भानुकमार थावानी, वरिष्ठ सहायक एवं श्री योगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक का किया गया स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

  
(एस.एन. व्यास)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
2. उप/सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर/उच्च न्यायालय, जोधपुर
3. संबंधित कर्मचारी श्री \_\_\_\_\_।
4. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर